



सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 11/11/2022

विषय— श्री गणेश प्रसाद द्वारा गया जिलान्तर्गत जोलाबिधा मौजा के खाता संख्या-28, खेसरा संख्या-317, 333 में SH-69 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0135 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 355 दिनांक 26.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/50537/2020/218, दिनांक 12.04.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,71,390.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219950537710, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 13.06.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BARBR22164003786 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.0135 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 12,930/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219950537710, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 13.06.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BARBR22164003786 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 13.06.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

54

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

गणेश प्रसाद

गणेश प्रसाद,

पिता-स्व. सुखदेव प्रसाद,

ग्राम-जोलाबिघा, पोस्ट+थाना-टेकारी

जिला-गया, पिन-824236

53

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-06-2022

Agency Name.	GANESH PRASAD
Application No.	19950537710
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/50537/2020
Location.	BIHAR
Address.	S/o-Late Sukhdeo Prasad, Village-Joahbigh, PS-Tekari, PO-Tekari Gaya
Amount(in Rs)	784320/-

Amount in Words :Seven Lakh Eighty-Four Thousand Three Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506219950537710 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-06-2022

Agency Name.	GANESH PRASAD
Application No.	19950537710
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/50537/2020
Location.	BIHAR
Address:	S/o-Late Sukhdeo Prasad, Village-Joahbigh, PS-Tekari, PO-Tekari Gaya
Amount(in Rs)	784320/-

Amount in Words :Seven Lakh Eighty-Four Thousand Three Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506219950537710 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

52

बैंक ऑफ बड़ौदा

शाखा : 12/10
दिनांक : 13/6/22

आधार शाखा :	<u>12/10</u>
खाता सं. :	<u>00120100015961</u>
खाताधारक का नाम :	<u>गणेश प्रसाद</u>

आरटीजीएस/एनईएफटी-के पक्ष में:

बैंक :	<u>यूनिफा बैंक</u>
शाखा :	
आईएफएस कोड :	<u>UBIN0903710</u>
लामार्थी का खाता सं. :	<u>150621995053</u>
लामार्थी के खाते का प्रकार :	<u>7710</u>
लामार्थी का नाम :	<u>विश्व प्रसाद</u>

7,84,320 राशि (रु.)	
विप्रेषण की राशि	
विनिमय	
कुल	

राशि (शब्दों में) रुपये सात लाख आठ हजार तीन सौ बीस मात्र

UTR No. BARBR22164003786



बैंक/किसीयर/टेलर

(चेक वसूली के अधीन)

लेखाकार



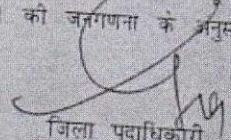
कार्यालय, जिला पदाधिकारी, गया के तहत रैखिक परियोजना निर्माण
हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.....1648..... दिनांक...19/04/2023

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का पत्र सं० 569 दिनांक 28.01.2023 द्वारा गया जिला अन्तर्गत
अंचल-टिकारी के मौजा-जोलाबिगहा में थाना-टिकारी, खाता सं०-28, प्लॉट सं०-317 एवं 333 में
SH-69, टिकारी-पंचानपुर पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु
0.0135 हेक्टेयर वन भूमि पर अपयोजन (Diversion) के क्रम अनुशंसा किया गया है।

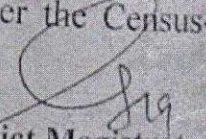
अनुमण्डल पदाधिकारी, टिकारी, गया का पत्र सं 70/गो० दिनांक 17.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित
किया गया है कि उपर्युक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में अंचल-टिकारी के मौजा-जोलाबिगहा में
थाना-टिकारी, खाता सं०-28, प्लॉट सं०-317 एवं 333 में SH-69, टिकारी-पंचानपुर पथ के किनारे
HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.0135 हेक्टेयर वन भूमि पर वर्ष 2001 एवं
2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित
रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित
वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित
किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार
अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।


जिला पदाधिकारी
गया।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation
which was notified as "forest" less than 75 years prior to the
13th day of December 2005 and is located in villages having no
recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-
2001 and Census-2011.


District Magistrate
Gaya